न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस, जिला सीकर।

पीठासीन अधिकारी- ममता रोहिला, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण सीआईएस सं.- 1656/15

प्राथमिकीकर्ता का नाम	औंकारमल पुत्र रूडाराम निवासी ढाणी रूडा हरितवाल की तन भोपतपुरा थाना रींगस जिला सीकर।
अभियुक्त का नाम एवं पता	अनिल कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी कलाखरी थाना सिंघाना जिला झुन्झुनूं।
अपराध अन्तर्गत धारा	279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता
अभियुक्त का कथन	आरोप अस्वीकार, अन्वीक्षा चाही
प्राथमिकी संस्थित करने की दिनांक	14.07.2015
अभियोजन साक्षी	पी ड 1 रंगलाल, पी ड 2 लालसिंह, पी ड 3 दरियासिंह, पी ड 4 जगनसिंह, पी ड 5 औंकारमल, पी ड 6 महावीर, पी ड 7 नोलाराम, पी ड 8 महेन्द्र कुमार, पी ड 9 मनीष, पी ड 10 डा. शैलेन्द्र, पी ड 11 सुभाष, पी ड 12 डा. दीपाली, पी ड 13 राजेन्द्रसिंह, पी ड 14 यशपालसिंह, पी ड 15 राजेश कुमार
अभियोजन दस्तावेज	फर्द जप्ती टेम्पो व पिकअप प्रदर्शपी 1 व 2, नक्शा मौका प्रदर्शपी 3, धारा 133 व 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 4 व 5, फर्द जप्ती वाहन पिकअप के कागजात प्रदर्शपी 6, फर्द पंचायतनामा किशनसिंह, शंकरलाल प्रदर्शपी 7 व 8, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्शपी 9 व 10, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 11, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 12, मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट प्रदर्शपी 13 व 14, पुलिस बयान औंकारमल प्रदर्शपी 15, पुलिस बयान

	महेन्द्र कुमार प्रदर्शपी 16, पीएमआर रिपोर्ट शंकरलाल व किशनसिंह प्रदर्शपी 18 व 19, चोट प्रतिवेदन यशपाल, सुभाष, मनीष, महेन्द्र प्रदर्शपी 20 से 23, पुलिस बयान सुभाष प्रदर्शपी 24, पीएमआर रिपोर्ट सांवरमल प्रदर्शपी 25, पुलिस बयान यशपाल प्रदर्शपी 26
अभियुक्त साक्षी	कोई नहीं
निर्णय रिजर्व करने की दिनांक	11.03.2026
निर्णय दिनांक	11.03.2026
अन्तिम निर्णय	11.03.2026
अधिवक्ता राज्य की ओर से	श्री सहायक लोक अभियोजक
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री कैलाशचन्द धायल

-- नि र्ण य -- दि नां क-11.03.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2015 को परिवादी औंकारमल ने तहरीरी रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि दिनांक 14.07.2015 को उसके बडे भाई शंकरलाल राजहोटल के पास खडे थे उनके पास एक लोडिंग टेम्पो नम्बर आरजे 23 जीए 6359 खडा था। उसी समय एक पिअकप नम्बर आरजे 18 जीए 7804 के चालक ने वाहन को तेजगति, लापरवाही से चलाकर पहले एक मोटर साईकिल सवार के टक्कर मारी, फिर उसके भाई के टक्कर मारता हुआ टेम्पों के टक्कर मारी जिससे टेम्पो व पिकअप पलटी खा गये। टक्कर से उसके भाई व किशनसिंह की मृत्यु हो गई। पैदल चल रहे महेन्द्र, सांवरमल, सुभाष व मनीष घायल हो गये। घायलों का अस्पताल पहुंचाया था, इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना रींगस ने मुकदमा नम्बर 259/15 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त अनिल के विरूद्व धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में आरोप पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्व उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 279, 337, 338, 304 ए भा.दं.सं. के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने गवाह पी ड 1 से पी ड 15 को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी 1 लगायत 26 दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया, प्रकरण में उसे झूंठा फसाया जाना व स्वयं का निर्दोष होना कथन किया है। साक्ष्य सफाई में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि-

1. आया अभियुक्त ने दिनांक 14.07.2015 को किसी भी समय मौजा रींगस में मदर डेयरी के पास में आम जन लोकमार्ग पर वाहन पिकअप नम्बर आरजे 18 जीए 7804 तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा मोटर साईकिल, टेम्पों व पैदल व्यक्तियों के टक्कर मारी, जिससे सुभाष, मनीष व महेन्द्र के शरीर पर क्रमशः साधारण व गम्भीर उपहति कारित हुई तथा मृतकगण शंकरलाल, किशनसिंह एवं सांवरमल के शरीर पर आई प्राणधातक चोटों के कारण उनकी मृत्यु कारित हुई, एतदद्वारा अभियुक्त ने धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

2. यदि हां तो अभियुक्त को क्या दण्डादेश दिया जाना उचित होगा?

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिये है कि हस्तगत प्रकरण अभियोजन अपने पक्ष में संदेह से परे प्रमाणित करवाने में असफल रहा है। प्रकरण का परिवादी मौके का साक्षी नहीं है तथा उसने दुर्घटना देखने से इंकार किया है। प्रकरण में मुख्य व महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयानों में आपस में विरोधाभास है तथा उन्होंने घटना की ताईद अपने न्यायालय बयानों में नहीं की है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रकरण के किसी भी गवाहान द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक अभियुक्त ही रहा हो, कथन नहीं किया गया है, जिससे प्रकरण में सन्देह उत्पन्न होता है। प्रकरण में जो साक्षीगण परीक्षित हुये है वे हितबद्ध साक्षी है जिनकी साक्ष्य पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है उसे इस प्रकरण में झूंठा संलिप्त किया गया है। प्रकरण में नक्शे मौके के गवाहान ने नक्शे मौके को साबित नहीं किया है। गवाहान के बयानों में तात्विक विरोधाभास है। घटनास्थल पर उपस्थित चक्षुदर्शी गवाहान पक्षद्रोही घोषित रहे है जिनकी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है। अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोपित अपराधों से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, प्रकरण में सन्देह उत्पन्न होता है। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से

परे प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुये तर्क दिया है कि अभियोजन की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

9. उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली का पुनः आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अनुशीलन व परिशीलन किया गया।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से हस्तगत प्रकरण में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य की विवेचना की जाए तोरू-

11. उक्त आरोपों के सम्बन्ध में परिवादी औंकारमल द्वारा रिपोर्ट प्रदर्शपी 12 इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि दिनांक 14.07.2015 को उसके बडे भाई शंकरलाल राजहोटल के पास खडे थे उनके पास एक लोडिंग टेम्पो नम्बर आरजे 23 जीए 6359 खडा था। उसी समय एक पिअकप नम्बर आरजे 18 जीए 7804 के चालक ने वाहन को तेजगति, लापरवाही से चलाकर पहले एक मोटर साईकिल सवार के टक्कर मारी, फिर उसके भाई के टक्कर मारता हुआ टेम्पों के टक्कर मारी जिससे टेम्पो व पिकअप पलटी खा गये। टक्कर से उसके भाई व किशनसिंह की मृत्यु हो गई। पैदल चल रहे महेन्द्र, सांवरमल, सुभाष व मनीष घायल हो गये। घायलों का अस्पताल पहुंचाया था। **परिवादी द्वारा रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है।** अतः उक्त रिपोर्ट परिवादी के द्वारा नामजद दर्ज नहीं करवाई गई है।

12. उक्त आरोपों के सम्बन्ध में परिवादी **औंकारमल** रिपोर्टकर्ता न्यायालय में **पी ड 5** के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में दुर्घटना होने के तथ्यों की ताईद की है तथा घटना की रिपोर्ट प्रदर्शपी 12 व चाक एफआईआर प्रदर्शपी 11 होने एवं उक्त फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होने का भी कथन किया है। मृतकगण शंकरलाल, किशनसिंह एवं सांवरमल की मृत्यु होने के संबंध में पत्रावली में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी 18, 19 व 25 संलग्न है, जिसका अवलोकन करने से उक्त दुर्घटना में मृतकगण के शरीर पर आई गम्भीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो जाना प्रकट हुआ है। प्रकरण में मजरूबान सुभाष, मनीष व महेन्द्र के चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी 21 से 23 संलग्न है जिसके अवलोकन से उक्त मजरूबान के शरीर पर चोटें आना प्रकट हुआ है। पत्रावली पर मृतकगण का पंचायतनामा प्रदर्शपी 7 व 8 संलग्न है। प्रकरण के चिकित्साधिकारीगण द्वारा भी मजरूबान के शरीर पर साधारण व गम्भीर चोटें व मृतकगण की उक्त दुर्घटना में मृत्यु होने के तथ्य की पुष्टि की गई है, इसके अतिरिक्त मजरूबान मनीष, सुभाष एवं महेन्द्र द्वारा भी घटना होने व अपने शरीर पर चोटें आने के तथ्य की ताईद अपने

बयानों में की गई है। इस प्रकार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मजरूबान मनीष, सुभाष व महेन्द्र के शरीर पर क्रमशः साधारण व गम्भीर उपहति तथा मृतकगण किशनसिंह, शंकरलाल व सांवरमल के शरीर पर आई प्राणघातक चोटों के कारण उसकी उक्त एक्सीडेंट में मृत्यु होना प्रमाणित होता है।

13. जहां तक उक्त दुर्घटना वाहन पिकअप नम्बर आरजे 18 जीए 7804 द्वारा कारित करने व अभियुक्त का प्रश्नगत वाहन का चालक होने एवं उक्त वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में परिवादी की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 12 में प्रश्नगत वाहन के चालक का नाम अंकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पेश किये गये **परिवादी साक्षी पी ड 5 औंकारमल** ने अपनी साक्ष्य में वाहन के नम्बर तो बताये है लेकिन चालक का नाम अंकित नहीं किया है एवं पिकअप के चालक द्वारा तेजगति से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना तथा मजरूब पक्ष के शरीर पर उपहति आना एवं मृतकगण का खत्म हो जाना कथन किया गया है। परिवादी साक्षी की साक्ष्य की विवेचना की जावे तो यह साक्षी मौके का साक्षी नहीं है। स्वयं द्वारा घटना आंखों से नहीं देखना कथन किया गया है। इस गवाह ने अपनी रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये दुर्घटना कारित किया जाना कथन किया है, लेकिन अपने मुख्य परीक्षण में दुर्घटना कारित करने वाले चालक का नाम नहीं बताया गया है। परिवादी ने वाहन चालक का नाम अपनी तहरीरी रिपोर्ट में नहीं बताया है ना ही अपने बयानों में बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से बरवक्त घटना अभियुक्त अनिल द्वारा सुसंगत वाहन को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट की घटना कारित की गई हो, इस तथ्य को साबित होना नहीं माना जा सकता है।

14. **पी ड 1 रंगलाल** ने बयान दिया कि एफआईआर नम्बर 259/15 में लोडिंग वाहन नम्बर आरजे 23 जीए 6359 व पिकअप नम्बर आरजे 18 जीए 7804 को क्रमशः प्रदर्शपी 1 व 2 के जप्त किया गया। दोनो वाहन एक्सीडेंट के मुकदमें में जप्त किये गये थे। यह साक्षी फर्द जप्ती लोडिंग वाहन व पिकअप का गवाह होकर औपचारिक साक्षी है।

15. **पी ड 2 लालसिंह** ने बयान दिया कि मु.नं. 259/15 की पत्रावली तफतीश हेतु प्राप्त होने पर गवाहान के बयानात उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। नक्शा मौका प्रदर्शपी 3 बनाया। वाहन मालिक राजेश कुमार को दिया गया धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 4, अनिल कुमार को दिया गया धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 5, लोडिंग टेम्पो व पिकअप को जरिये फर्द प्रदर्शपी 1 व 2 जप्त किया गया। पिकअप की आरसी, आईसी व डीएल जरिये फर्द प्रदर्शपी 6 जप्त किये गये। मृतकगण किशनसिंह व शंकरलाल के पंचायतनामा प्रदर्शपी 7 व 8, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्शपी 9 व 10, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 11 व तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 12 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। यह साक्षी अनुसंधनकर्ता

होकर औपचारिक साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराधों से नहीं जोडा जा सकता है।

16. **पी ड 3 दरियासिंह** ने बयान दिया कि मु.नं. 259/15 में जप्तशुदा पिकअप नम्बर आरजे 18 जीए 7804 व टेम्पो नम्बर आरजे 23 जीए 6359 का मैकेनिक मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्शपी 13 व 14 तैयार की जिन पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया कि पिकअप वाहन का अचानक टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर दूसरे वाहन से टकरा जाये तो डैमेज आना सम्भव है। इस प्रकार यह साक्षी वाहनों का मैकेनिक मुआयना करने वाला औपचारिक साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक रहा हो यह स्पष्ट नहीं होता है।

17. **पी ड 4 जगनसिंह** ने बयान दिया कि फर्द पंचायतनामा प्रदर्शपी 8 पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि प्रदर्शपी 8 उसे पढकर नहीं सुनाया। इस प्रकार यह साक्षी पंचायतनामा शव का औपचारिक साक्षी है।

18. **पी ड 6 महावीर** ने बयान दिया कि करीब 10-11 माह पूर्व साढे आठ नौ बजे मील तिराहे पर जयपुर की तरफ से एक पिकअप नम्बर आरजे 18 जीए 7804 तेजगति से आकर शंकर के टक्कर मारी, मोटर साईकिल पर महेन्द्र के टक्कर मारी, फिर आगे टेम्पों के टक्कर मारी। एक्सीडेंट में शंकर, किशनलाल, सावंरमल की मृत्यु हो गई। पिकअप चालक का नाम अनिल बता रहे थे। नक्शा मौका प्रदर्शपी 3 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया कि उसने चालक को नहीं देखा। गाडी अपनी साही दिशा से आ रही थी। गाडी का टायर फट जाने से दुर्घटना हुई हो तो नहीं बता सकता। वह घटनास्थल पर घटना के करीब 2-3 मिनट बाद पहुंच गया था। इस गवाह की साक्ष्य की विवेचना की जावे तो यह साक्षी मौके का साक्षी नहीं है स्वयं को घटना के 2-3 मिनट बाद पहुंचना कथन करता है। उक्त गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में वाहन चालक का नाम अनिल होना बताया है परन्तु इस गवाह ने चालक को नहीं देखना स्वीकार किया है। इस गवाह ने चालक का नाम अनिल लोगों द्वारा सुनना कथन किया है। यह साक्षी मौके पर 2-3 मिनट बाद पहुंचना कथन करता है लेकिन साक्षी को चालक का नाम अनिल किसके द्वारा पता चला इस तथ्य को उजागर नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने का तथ्य साबित होना नहीं माना जा सकता है।

19. **पी ड 7 नोलाराम पूर्णतया पक्षद्रोही** घोषित हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन न्यायालय बयानों में नहीं किया है।

20. **पी ड 8 महेन्द्र** ने बयान दिया कि 14 जुलाई 2015 को समय साढे आठ नौ बजे मील तिराहे के पास में उसके पिकअप वाले ने टक्कर मारी जिससे वह बेहोश हो गया था। उसका मेडीकल हुआ था। उसे पिकअप के नम्बर नहीं पता। यह साक्षी मजरूब होकर

पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन न्यायालय बयानों में नहीं किया है। उक्त गवाह द्वारा पिकअप की टक्कर से स्वयं के चोटें आने व बेहोश हो जाने का तो कथन किया परन्तु पिकअप के नम्बर व चालक का नाम के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किये गये है।

21. **पी ड 9 मनीष** ने बयान दिया कि मील तिराहे के पास में उसके पिकअप ने टक्कर मारी जिससे उसके चोट लगी थी। पिकअप के नम्बर याद नहीं है। यह साक्षी मजरूब होकर **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन न्यायालय बयानों में नहीं किया है। उक्त गवाह स्वयं मजरूब होकर पिकअप की टक्कर से स्वयं के चोट आने का तो कथन करता है परन्तु वाहन के नम्बर व चालक के नाम के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं करता है।

22. **पी ड 10 डा. शैलेन्द्र** ने बयान दिया कि उसने शंकरलाल, किशनसिंह के शव का परीक्षण कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी 18 व 19 बनाई। यशपाल, सुभाषचंद, मनीष व महेन्द्रकुमार के चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्शपी 20, 21, 22 व 23 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। पी ड 12 डा. दीपाली ने बयान दिया कि उसने एसएमएस पुलिस चौकी के प्रतिवेदन पर मृतक सांवरमल के शव का परीक्षण कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी 25 बनाई जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दोनों ही साक्षीगण चिकित्साधिकारी होकर औपचारिक साक्षीगण है जिनकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराधों से नहीं जोडा जा सकता है।

23. **पी ड 11 सुभाष** ने बयान दिया कि दिनांक 14.07.2015 को मील तिराहे क पास में गाडी ने आकर चार पांच लोगों के टक्कर मार दी। यह साक्षी मजरूब होकर **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन न्यायालय बयानों में नहीं किया है।

24. **पी ड 13 राजेन्द्रसिंह** ने बयान दिया कि एक टेम्पो लोडिंग नम्बर आरजे 23 जीए 6359 को जरिये फर्द प्रदर्शपी 1 व पिकअप नम्बर आरजे 18 जीए 7804 को जरिये फर्द प्रदर्शपी 2 व वाहन के कागजात को जरिये फर्द प्रदर्शपी 6 दुर्घटना बाबत् जप्त किये गये थे जिन पर उसके हस्ताक्षर है। यह साक्षी फर्द जप्ती टेम्पो लोडिंग वाहन, पिकअप व वाहन के कागजात की जप्ती का साक्षी होकर औपचारिक साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराधों से नहीं जोडा जा सकता है।

25. **पी ड 14 यशपालसिंह** पूर्णतया **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन न्यायालय बयानों में नहीं किया है।

26. **पी ड 15 राजेश कुमार** ने बयान दिया कि पिकअप नम्बर आरजे 18 जीबी 7804 धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। यह साक्षी **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन न्यायालय बयानों में नहीं किया है। गवाह द्वारा प्रदर्शपी 2 नोटिस का जवाब स्वयं द्वारा दिये जाने से इंकार किया गया है। गवाह ने यह सुझाव अस्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन अभियुक्त अनिल चला रहा हो।

27. उपरोक्तानुसार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त प्रश्नगत वाहन को अभियुक्त के द्वारा तेजगति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर मजरूबान सुभाष, मनीष व महेन्द्र के क्रमशः साधारण व गम्भीर उपहति कारित की गई हो तथा मृतकगण शंकरलाल, किशनसिंह व सांवरमल के उक्त टक्कर के फलस्वरूप आई गम्भीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई हो। हस्तगत प्रकरण में गवाहान दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर व वाहन चालक के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर करते है। मामलें का परिवादी मौके का साक्षी नहीं है तथा दुर्घटना आंखों से नहीं देखना कथन करता है। प्रकरण के मजरूबान पक्षद्रोही होकर वाहन चालक व वाहन के नम्बरों से अनभिज्ञता जाहिर करते है। गवाह महावीर द्वारा यद्यपि अपनी साक्ष्य में चालक का नाम अनिल सुनना जाहिर किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि उसने चालक को नहीं देखा, गवाह द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नाम किसने बताया। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार उक्त प्रश्नगत वाहन के चालक अभियुक्त द्वारा वाहन को तेजगति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाने के संबंध में अभियोजन की ओर से लेशमात्र साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य से भी प्रश्नगत वाहन के चालक अभियुक्त द्वारा ही वाहन को तेज गति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाने की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जब एक्सीडेंट कारित करने वाले वाहन व चालक की पहचान ही सन्देह से परे प्रमाणित नहीं है तो चालक द्वारा क्या उपेक्षा व लापरवाही बरती गई, इस बिन्दु पर विचार करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत वाहन को तेजगति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

28. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि सुसंगत दिनांक, समय एवं स्थान पर वाहन पिकअप नम्बर आरजे 18 जीए 7804 तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा वाहन मोटर साईकिल, टेम्पों एवं राहगिरों के टक्कर मारी, जिससे मनीष, सुभाष एवं महेन्द्र के शरीर पर क्रमशः साधारण व गम्भीर उपहति कारित हुई हो तथा मृतकगण शंकरलाल, किशनसिंह एवं सांवरमल के शरीर पर आई प्राणधातक चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई हो। लिहाजा अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

29. अतः अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी कलाखरी थाना सिंघाना जिला झुन्झुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के

आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

30. प्रकरण में जप्तशुदा उक्त वाहन सुपुर्दगीदार को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है जो सुपुर्दगीदार के पास ही रहे। जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपीलावधि नियमानुसार निरस्त समझा जावे।

31. अभियुक्त को धारा 437 ए दं.प्र.सं. के तहत 06 माह की अवधि के 25-25 हजार रूपए की राशि के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए जाते हैं।

(ममता रोहिला)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर(राज.)

32. आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(ममता रोहिला)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रींगस जिला सीकर